रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092023-248917
CG-DL-E-23092023-248917

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 658] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2023/भाद्र 31, 1945
No. 658] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023/BHADRA 31, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/587/2019/डीडी/49/आईएनएफ/2019/डीसी/1453/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने **सीए. हाजरा तिमिर कांति (सदस्यता संख्या 054696), प्लॉट संख्या 24, साबुज कानन, गोपालपुर हाउस, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700136,** को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग II की मद (1) और पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् **सीए. हाजरा तिमिर कांति (सदस्यता संख्या 054696)** के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही केवल 25,000/- (पच्चीस हजार रुपए) रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसका संदाय आदेश की प्राप्ति के 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को 01 (एक) मास की अतिरिक्त अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा । चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अत: अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि **हाजरा तिमिर कांति (सदस्यता संख्या 054696) का नाम**

22 सितंबर, 2023 से 13 (तेरह) मास [01 (एक) वर्ष और अतिरिक्त 01 (एक) मास] की समेकित अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./441/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/587/2019/DD/49/INF/2019/DC/1453/2021.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Hazra Timir Kanti (Membership No. 054696), Plot No. 24, Sabuj Kanan, Gopalpur House, KOLKATA (West Bengal) 700136,** guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Item (1) of Part II of Second Schedule and Item (2) of Part IV of First Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of the name of **CA. Hazra Timir Kanti (Membership No. 054696)** from the Register of Members for a period of 01(One) year and also imposed a fine of Rs. 25,000/-(Rupees Twenty Five Thousand) only to be paid within 90(ninety) days of receipt of the order and in case of default in payment of fine within stipulated time, his name be removed from the Register of Members for an additional period of 01(One) month. Since the Respondent had failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that the name of said **CA. Hazra Timir Kanti (Membership No. 054696)**, **shall stand removed for a consolidated period of 13(Thirteen) months [01 (One) year plus additional 01(one)month] with effect from 22nd September, 2023.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./441/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA